न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 64/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 29.07.2025 निर्णय दिनांक : 31.10.2025

उनवान

1. जगवीर पुत्र भगवान जाति जाट निवासी ग्राम अडीन्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. चरणसिंह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल,
3. धर्मवीर पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल,
4. रामानन्द पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल,
5. गंगा देवी पत्नी श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल,
6. महेन्द्र पुत्र श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिह पुत्र हरलाल,
7. कर्णसिंह पुत्र श्री चन्दनसिह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिह पुत्र हरलाल,
8. समुदरसिंह पुत्र श्री चन्दनसिह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल,
9. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिह पुत्र हरलाल,
10. भरतसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
11. रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री सुरतिया उर्फ सूरतसिंह पुत्र हरलाल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अडीन्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
12 तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

13.प्रदीप पुत्र श्री भगवान जाति जाट निवासी ग्राम अडीन्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
14 ममता पुत्री श्री भगवान पत्नी श्री पप्पू उर्फ ओमवीर जाति जाट निवासी ग्राम अडीन्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी ग्राम सुलखा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
15 होशियार पुत्र श्री भगवान,
16 जयदयाल पुत्र श्री प्रभाती,
17 धीरसिंह उर्फ लाला पुत्र श्रीचन्द्र,
18. बबली पुत्र किताबो पत्नी लीलाराम,
19. मुन्नी पुत्री किताबो पत्नी लीलाराम,
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अडीन्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान
20 नीरज पुत्र माया देवी पत्नी रमेश जाति ज्ञाट निवासी ग्राम तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा (पुत्री लीलाराम जाति जाट निवासी अडीन्द तहसील माढण),
21 होशियार पुत्र माया देवी पत्नी रमेश जाति जाट निवासी ग्राम तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा (पुत्री लीलाराम जाति जाट निवासी अडीन्द तहसील मांढण),
22 लक्ष्मी पुत्री माया देवी पत्नी श्री रमेश जाति जाट निवासी ग्राम तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा (पुत्री लीलाराम जाति जाट निवासी अडीन्द तहसील मांढण),
23 कर्मवीर पुत्र जगमालसिंह,
24 दौलतराम पुत्री सुमेरसिंह,
25 प्रकाश पुत्र रामफूल उर्फ हरफूल,
26 प्रदीप पुत्र कर्णसिंह,
27 पवन पुत्र रामफूल,
28 बलजीत पुत्र माडाराम,
29 बाला पुत्री जगमालसिंह,
30 भतेरी देवी पत्नी कर्णसिह,
31 रतनी देवी पत्नी जगमालसिंह,
32 राजकुमार पुत्र माडाराम,
33 राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री छाजुसिंह,
34 राजपालसिंह पुत्र जगमालसिंह,
35 राजवीर पुत्र रामफूल,
36 राजेश कुमार पुत्र छाजुसिंह,

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित आकर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी बिना कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित किये विधि विरूद्ध जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने पर उतारू हो रहे है। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जबकि प्रार्थी एक काश्तकार व्यक्ति है एवं अप्रार्थीगण/वादीगण अपनी जान पहचान व पहुंच का नाजायज फायदा उठाते हुये अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर अनैतिक दवाब बना प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज कर अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध जाकर प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित करवाने आमादा हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के द्वारा लगाये जाने वाले अनैतिक दवाब के कारण प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत कर प्रार्थी/वादी के उपरोक्त वाद को विधि विरुद्ध जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारीज कर अप्रार्थी/वादी का वाद निर्णित करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है ।

5. अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 11 ने बहस के दौरान प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा को अतिशीघ्र निर्णित करवाने के आशय से स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा ही छोटी तारीख पेशी ली जा रही थी। सभी न्यायालयों में अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा भी पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दरतावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में केवल मात्र देरी करने की नियत से कानून में मुन्तकिली प्रावधानों का दुरूपयोग कर न्याय में देरी करने की गरज से बिल्कुल मिथ्या एवं भ्रमक तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नही है। वादीगण स्वयं काश्तकार पेशा व्यक्ति है बल्कि प्रतिवादीगण भी राजनीति में रहने वाले है। बिल्कुल वास्तविकता के विपरीत तथ्यों का वर्णन किया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया गया व बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के लिये आगामी तारीख पेशी नियत की गई है। प्रार्थी प्रतिवादीगण ने निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो प्रार्थना पत्र सारहीन है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रार्थी प्रतिवादी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, अतः प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

6. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस हेतु लम्बित है। वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किये है। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मात्र कयास के आधार पर पेश किया है। मात्र कयास के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। प्रकरण में सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली-बहरोड़